

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 984 / 2011 / भीलवाड़ा.

मैसर्स श्री मधुर टी सेंटर, इन्द्रा मार्केट, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत-‘बी’, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03 / 11 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या 181/वैट/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत-‘बी’, भीलवाड़ा (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 05.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 03.03.2009 को पारित किया गया था। वेट अधिनियम लागू होने की दिनांक 01.04.2006 को, पूर्व वर्ष अर्थात् वर्ष 2005-06 में स्टॉक में रखे माल पर आगत कर का समायोजन वर्ष 2006-07 में दिनांक 30.06.2006 के पश्चात समान छः किशतों में लिया जा सकता था, परन्तु व्यवहारी द्वारा यह क्लेम एक साथ चतुर्थ तिमाही में अर्थात् 6 माह के बाद लिया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.2010 को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत आदेश पारित करते हुए निर्णीत किया कि चूंकि यह समायोजन छः समान किशतों में लिया जाना चाहिये था, परन्तु एक साथ लिये जाने को अविधिक मानते हुए इस समाहित आई.टी.सी. रुपये 26,650/- को प्रत्याहत (Withdraw) करते हुए उक्त राशि की मांग मय ब्याज सृजित की गई, जिससे

लगातार.....2

व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.05.2010 को यथावत रखा, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2009 में विधिसम्मत रूप से आई.टी.सी. का क्लेम स्वीकार किया गया था एवं उस आदेश को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज के परिप्रेक्ष्य में यह रिव्यू की श्रेणी में आता है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि चूंकि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया था, जो स्वः कर निर्धारण की श्रेणी का आदेश है, जिसमें किसी भी तरह का विवेचन किये बिना आदेश पारित किया जाता है, ऐसी स्थिति में किसी भी गलती को दुरुस्त किया जाना विधिसम्मत है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से केवल इस आधार पर कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है कि उक्त आदेश धारा 33 के तहत पारित किये जाने से विधिविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत किये जाने वाले कर निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी विवेचना के पारित किये जाते हैं एवं विधिक रूप से ऐसा किया जाना अनिवार्य है एवं इन आदेशों में किसी गलती/त्रुटि के ध्यान में आने पर उसमें संशोधन किया विधिविरुद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित आदेश धारा 33 के तहत संशोधनीय नहीं है।




लगातार.....3

6. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया कि मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2009 एक विधिसम्मत आदेश था, क्योंकि वर्ष 2006-07 में जो आगत कर का मुजरा ओपनिंग बेलेंस पर लिया जाना था, वह छः समान किशतों में लिया जा सकता था, जो किशत दिनांक 01.07.2006 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.12.2006 तक पूर्ण होनी थी। इस तरह विधायिका द्वारा आगत कर का समायोजन किशतों में दिये जाने का प्रावधान किया गया था एवं अन्तिम किशत दिनांक 31.12.2006 तक ली जा सकती थी। इस प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी को आगत कर के समायोजन की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी स्थिति में इस आगत कर का मुजरा दिनांक 31.12.2006 के बाद एकमुश्त लिये जाने पर कोई रोक नहीं थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 31.12.2006 के बाद एकमुश्त प्राप्त आगत कर का मुजरा विधिसम्मत था एवं प्रथम कर निर्धारण आदेश में विधिक रूप से स्वीकार किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2009 में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवलमात्र ऑडिट पैरा के सृजित होने से संशोधित आदेश पारित किया गया है, जो स्वतः ही अपास्तनीय है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर गौर नहीं किया था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश भी अपास्तनीय होने से दोनों आदेश अपास्त किये जाते हैं।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.05.2010 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 25.04.2011 अपास्त किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य